

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक ०२ जुलाई, 2013

क्रमांक एफ 10-06/2013/16 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकार के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :-

क्रमांक	कर्मकार का नाम
(50)	सिनेमा व्यवसाय में कार्यरत लाईट मैन, स्पोर्ट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जी.आर. मालवीय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग


रायपुर दिनांक ०२ जुलाई, 2013

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-06/2013/16

**प्रतिलिपि :-**

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर (छ.ग.)।
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर।
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
8. कलेक्टर जिला .....(छ.ग.)।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
10. श्रम कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)।
11. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ.ग.)।

12. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ.ग.)।
13. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.....(छ.ग.)।
14. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्राणालय, राजनांदगाव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग